



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237507
CG-DL-E-23072022-237507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944

No. 3189]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3350(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में सोमयाजुलापल्ली - दून सेक्सन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 340बी के कि.मी. 0 से कि.मी. 56.2 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में सोमयाजुलापल्ली - दून सेक्सन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 340बी के कि.मी 0 से कि.मी 56.2 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, दून	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	आंध्र प्रदेश	नंदयाल	बेथामचेर्ला	1 कोलूमलापल्ले

		NH340B के कि.मी. 0 से 56.2 तक			<table><tr><td rowspan="2">दून</td><td>1</td><td>मलकापुरम</td></tr><tr><td>2</td><td>एस .वलासला</td></tr></table>	दून	1	मलकापुरम	2	एस .वलासला
दून	1	मलकापुरम								
	2	एस .वलासला								

[फा. सं. RC.G1.1131/2022, Dated: 11-07-2022]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3350(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to km. 56.2 of Somayajulapalli-Dhone Setion National Highway 340B in the District of Nandyal State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH340B km. 0 to km. 56.2 of Somayajulapalli-Dhone Setion in the District of Nandyal in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer, Dhone	0KM To 56.2KM	ANDHRA PRADESH	Nandyal	Bethamcherla	1 Kolumalapalle
					Dhone	1 Malkapuram
						2 S.Valasala

[F. No. RC.G1.1131/2022, Dated: 11-07-2022]

RAJESH GUPTA, Director